N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0187 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/07/2025 18:36 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 14/07/2025 **Date To (दिनांक तक):** 17/07/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:45 बजे **Time To (समय तक):** 10:33 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/07/2025 **Time (समय):** 15:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/07/2025 18:36:15 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 85 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** AANGANBARI KENDARA, BHEELA KE BAAHAR, TEHAHIL RAYPUR JILA BEWAR

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** RUKAMA
   (b) **Husband's Name (पति का नाम):** HOSHIYAR SINGH

   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1993 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GAON KAYA BHEELA, GRAM PANCHYAT JHALA KI CHAOKEE, RAYPUR, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GAON KAYA BHEELA, GRAM PANCHYAT JHALA KI CHAOKEE, RAYPUR, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
   Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	CHETAN SINGH		पिता:PREM SINGH	1. GAON KANUJA,RAYPUR, ब्यावर,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें,श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (अजमेर) विषय:- रिश्वत लेते हुये पकडवाने के सम्बन्ध में। महोदय,निवेदन है कि मैं आगन बाडी केन्द्र भीला गांव काया भीला ग्राम पंचायत झाला की चौकी तहसील रायपुर जिला ब्यावर में आशा सहयोगिनी हूं। मुझे प्रतिमाह 4500 रूपये वेतन मिलता है। सरकारी योजना जैसे टिकाकरण,नसबन्दी, प्रसव, प्रसव के बाद महिला के घर की विजिट आदि की मासिक रिपोर्ट तैयार कर कानूजा सैक्टर के सुपरवाईजर को ऑन लाईन पोर्टल पर अपलोड करने के लिये देते है। हमारे द्वारा तैयार की जाने वाली आशा क्लेम फार्म को आगंनबाडी केन्द्र की ए.एन.एम. (नर्स) द्वारा वेरीफाई किया जाता है। हमारे द्वारा हमें मिलने वाले मानदेय के फार्म आशा क्लेम फार्म को आशा सॉफ्ट ऑन लाईन सिस्टम पर अपलोड कराने के बदले में श्री चेतन सिंह पहले 1000 रूपये व इस महिने से 1500 रूपये रिश्वत के मांग रहा है। यदि में रिश्वत नही दूंगी तो वह मेरी रिपोर्ट को इस विभागीय पोर्टल पर अपलोड नही करेगा जिससे मुझे उपरोक्त कार्यो के बदले में मिलने वाला मानदेय नही मिलेगा। हर महिने की 25 से 27 तारीख को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कानूजा जंहा पर श्री चेतन सिंह आशा सुपरवाईजर का ऑफिस है मिटींग होती है, परन्तु चेतन सिंह हमारी रिपोर्ट वंहा पर नही लेकर हमारे आंगनबाडी केन्द्र पर आकर रूपये मांगता है। मै चेतन सिंह आशा सुपरवाईजर कानूजा तहसील रायपुर जिला ब्यावर को रिश्वत नही देना चाहती हूं। मै उसे रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहती हूं। कृपया कार्यवाही करें। दिनांक 14.07.2025 आशा सहयोगिनी रूकमा आंगनबाडी केन्द्र भीला गांव काया भीला मो. न. [redacted] कार्यवाही पुलिस एसीबी अजमेर समय 04.45 पीएम दिनांक 14.07.2025 उक्त लिखित रिपोर्ट परिवादिया श्रीमती रूकमा पत्नी श्री होशियार सिंह जाति रावत उम्र 32 साल निवासी काया भीला, ग्राम पंचायत झाला की चौकी तहसील रायपुर जिला ब्यावर ने अपने पति श्री होशियार सिंह के साथ एसीबी कार्यालय अजमेर पर उपस्थित होकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी अजमेर को सम्बोधित करते हुये मन् निरीक्षक पुलिस को पेश की। मन् निरीक्षक द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय से जरिये मोबाईल फोन सम्पर्क कर अवगत करवाया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा करते प्रस्तुत रिपोर्ट परिवादिया को पढकर सुनाई तो रिपोर्ट में अंकित तथ्य सही होना एंव रिपोर्ट पति श्री होशियार सिंह द्वारा लिखित एंव स्वंय द्वारा हस्ताक्षरित होना बताया। परिवादिया से दरियाफ्त की गयी तो बताया कि "मै वर्ष 2011 से आगंनगबाडी केन्द्र भीला गांव काया भीला में आशा सहयोगिनी के रूप में कार्य कर रही हूं। हमारे द्वारा बतौर आशा सहयोगिनी किये गये कार्यो की मासिक रिपोर्ट भुगतान प्रपत्र आशा क्लेम फार्म में भरकर क्लेम के ऑन लाईन भुगतान हेतु सुपरवाईजर श्री चेतन सिंह को प्रस्तुत करना होता है, जो राज्य सरकार के ऑन लाईन पैमेन्ट सिस्टम आशा सॉफ्ट पर अपनी आईडी से अपलोड करता है जिसके उपरान्त करीब एक महिने बाद हमारे द्वारा क्लेम किया गया मानदेयं हमारे बैंक खाते में आ जाता है। चेतन सिंह सुपरवाईजर हमारे इस क्लेम फार्म को आशा सॉफ्ट ऑन लाईन पैमेन्ट सिस्टम पर अपलोड करने के बदले पहले 1000 रूपये मांगता था और अब इस माह से 1500 रूपये मांग रहा है। मैने चेतन सिंह को रूपये नही दिये इसलिये उसने अभी तक मेरी मासिक रिपोर्ट नही ली है, जिससे रिपोर्ट अपलोड नही होने से भुगतान प्राप्त होने मे देरी हो रही है। मासिक रिपोर्ट माह की 25 तारीख को तैयार कर दी थी इसके बावजूद भी उसने अभी तक रिपोर्ट नही ली है। चेतन सिंह मेरे अलावा भी बहुत सारी आशा सहयोगिनी से मासिक रिपोर्ट अपलोड करने के बदले में रिश्वत की मांग करता है। जबकि हमें जो भुगतान प्राप्त होता है वह हमारे द्वारा महिने भर किये गये कार्यो के बदले में सरकार की योजना के अनुरूप ही प्राप्त होता है। हमारी मासिक रिपोर्ट का वेरिफिकेशन ए.एन.एम. (नर्स) द्वारा किया जाता है। अन्य आशा सहयोगिनी भी चेतन सिंह से दुखी है परन्तु डर के कारण कोई उसकी शिकायत नही कर पा रही है। चेतन सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कानुजा पर पदस्थापित है। जिसके अधीन 16 आगंनबाडी केन्द्र आते है। चेतन सिंह कानुजा का ही रहने वाला है। मै चेतन सिंह को रिश्वत राशि नही देना चाहती हूं। मैने यह बात मेरे पति श्री होशियार सिंह को बताई तो इन्होने चेतन सिंह की शिकायत एसीबी में करने की राय दी। मै चेतन सिंह को रूपये लेते हुये पकडवाना चाहती हूं। श्री होशियार सिंह ने रूकमा देवी के कथनो की ताईद की व बताया कि हमारी व चेतन सिंह की जाति एक ही है। पूछने पर बताया कि उससे हमारी कोई रंजिश नही और नाही कोई उधार का लेनदेन है। चेतन सिंह हर महिने रिश्वत के लिये तंग करता है जबकि आशा सहयोगिनी को मानदेय राज्य सरकार की योजना से मिल रहा है। इनकी मेहनत की कमाई से रिश्वत की राशि हम नही देना चाहते है। श्री होशियार सिंह ने बताया कि मै भी यथा सम्भव इस

कार्यवाही मे साथ रही रहूंगा। श्री होशियार सिंह द्वारा श्रीमती रूकमा देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने हस्ताक्षर किये । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का पाया जाता है। अतः परिवादिया को रिश्वत राशि की मांग का गोपनीय रूप से सत्यापन करवाये जाने हेतु अवगत कराया गया तो परिवादिया ने रिश्वत मांग का सत्यापन कराने हेतु सहमति प्रदान की। परिवादिया ने बताया कि कल सुबह स्वास्थ्य केन्द्र या चेतन सिंह के घर कानूजा जाकर पैसो की बात कर लूंगी। समय 05.45 पीएम पर श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि0 321 को कार्यालय कक्ष में बुलाया जाकर परिवादिया रूकमा देवी से आपस में परिचय करवाया गया तथा दोनो के मोबाईल नम्बर का आपस में आदान -प्रदान कराया गया । होशियार सिंह ने बताया कि हम दोनो कल सुबह 8 बजे ब्यावर मिल जायेगें। समय 06.15 पीएम पर बाद हिदायत के परिवादिया रूकमा देवी व उसके पति होशियार सिंह को बाद आवश्यक हिदायत के रवाना किया गया। दिनांक 15.07.2025 को समय 7.00 ए.एम. पर कार्यालय अलमारी से डिजीटल वार्यस रिकॉर्डर व नया/खाली मैमोरी कार्ड मंगवाया गया। वार्यस रिकॉर्डर में नया/खाली मैमोरी कार्ड डाला जाकर श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द किया जाकर परिवादिया से सम्पर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सम्पादित करवाने हेतु रवाना किया गया। समय 12.30 पीएम पर श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि, श्रीमती रूकमा व श्री होशियार सिंह कार्यालय मे उपस्थित आये। श्रीमती रूचि उपाध्याय ने वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के बन्द अवस्था में पेश किया जिसे सुरक्षित रखा गया। श्रीमती रूचि उपाध्याय ने बताया कि कार्यालय से रवाना होकर ब्यावर पहुंची जंहा पर रोडवेज बस स्टेण्ड पर श्री होशियार सिंह व रूकमा देवी मिले। इनके प्राईवेट वाहन से ब्यावर से रवाना होकर काया भीला पहुंचें। संदिग्ध अधिकारी की लोकेशन की जानकारी हेतु रूकमा देवी ने जरिये मोबाईल फोन चेतन सिंह से बात की तो स्वंय का घर पर होना बताते हुये थोडी देर में अस्पताल जाना बताया। इसके बाद हम वंहा से रवाना होकर कानूजा पहुंचें जंहा पर श्री चेतन सिंह के घर के बाहर पहुंचकर प्राईवेट वाहन में ही मैने वार्यस चालू करके रूकमा देवी को सुपुर्द किया। रूकमा देवी घर के अन्दर चली गई थोडी देर में घर के अन्दर से होशियार सिंह को बुलाया तो वो भी अन्दर चला गया करीब 6-7 मिनट रूकमा देवी वापस आ गई होशियार सिंह भी साथ ही था। मैने वार्यस रिकॉर्डर प्राप्त कर उसे बन्द कर लिया तथा वंहा से रवाना होकर रास्तें में वार्यस रिकॉर्डर को चालू करके सुना तो उसमें वार्तालाप दर्ज होना पाया गया। रूकमा देवी ने रूचि उपाध्याय के कथनो की ताईद करते हुये बताया कि इनके ब्यावर आने पर हम हमारी गाडी से रवाना होकर हमारे गांव पहुंचें मैने चेतन सिंह से बात की तो उसने स्वंय का घर ही होना बताते हुये हॉस्पीटल जाने के लिये कहा। फिर हम वंहा से रवाना हो गये कानुजा पहुंच टेप रिकॉर्डर लेकर मै चेतन सिंह के घर के अन्दर गया वंहा पर उसके परिवार के अन्य सदस्य भी थे। चेतन सिंह जो मेरे पति को भी जानते है उन्हे आवाज देकर घर के अन्दर बुला लिया। हमने बातचीत में भैरू जी के जाने सम्बन्धित वार्तालाप किया ताकि उसे हम दोनो के उपर शक नही हो पाये। हमारे बीच हुई बात में मैने उसे रिपोर्ट के लिये कहा तो उसने पैसे बाकी होने का कहा फिर हमारे बीच में दूसरी बाते हुई मैने उसे मासिक रिपोर्ट दी व 1500 रूपये गुरूवार को देना तय हुआ। उसके बाद वंहा से रवाना होने लगी तो उसने दूसरी आशा सहयोगिनी लक्ष्मी के बारे मे भी पूछा था। चेतन सिंह के पास से रवाना होकर हम दोनो रूचि जी के पास आ गये इन्होने वायस रिकॉर्डर बन्द करके अपने पास रख लिया तथा हमारी गाडी से रवाना हो गये। श्री होशियार सिंह द्वारा कथनो की ताईद की। श्रीमती रूचि उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत शुदा वॉयस रिकॉर्डर को चालू करके सुना गया जिसमें परिवादी की रिपोर्ट एंव रूपयो के सम्बन्ध में वार्तालाप दर्ज होना पाया गया। परिवादिया व आरोपिया के मध्य हुई वार्ता की ट्रासंक्रिप्ट बनाये जाने हेतु परिवादिया को अवगत करवाया परिवादिया ने बताया कि घर पर आवश्यक कार्यवाही है। इसलिये आगे की कार्यवाही के लिये दिनांक 17.07.2025 को उपस्थित हो जाउंगी। समय 02.15 पीएम पर को परिवादिया व उसके पति होशियार सिंह को दिनांक 17.07.2025 को समय 07.00 ए.एम. पर एसीबी कार्यालय मे रिश्वत राशि की व्यवस्था कर उपस्थित होने की हिदायत देकर रूख्सत किया गया। वार्यस रिकॉर्डर को मन् निरीक्षक पुलिस ने कार्यालय अलमारी मे सुरक्षित रखा। दिनांक 16.07.2025 समय 02.45 पीएम पर अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहो की आवश्यकता होने से उप वन सरंक्षक अजमेर के नाम तहरीर जारी की जाकर श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल नम्बर 01 को सुपुर्द कर गवाह लाने हेतु उप वन सरंक्षक कार्यालय अजमेर भिजवाया गया।समय 03.40 पीएम पर श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल उप वन सरंक्षक कार्यालय अजमर से गवाह श्री भूपेन्द्र सिंह राठौड पुत्र श्री सायर सिंह राठौड जाति राजपूत उम्र 37 साल निवासी मकान नम्बर एफ 7 इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी खोडा गणेश जी रोड किशनगढ जिला अजमेर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय उप वन संरक्षक अजमेर व श्री देवेन्द्र कुमार बिडियासर पुत्र श्री गोविन्दिराम जाति जाट उम्र 30 साल निवासी गांव केराप तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना कुचामन हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन सरक्षंक अजमेर को लेकर उपस्थित आया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय दिया जाकर उपरोक्तानुसार परिचय प्राप्त किया गया। दिनांक 16.07.2025 समय 04.00 पीएम पर श्री भूपेन्द्र सिंह एंव श्री देवेन्द्र कुमार को कल दिनांक 17.07.2025 को समय 07.00 ए.एम. पर कार्यालय मे उपस्थित होने की हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 17.07.2025 परिवादिया, होशियार सिंह व गवाहान के उपस्थित आने पर समय 08.30 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादिया, होशियार सिंह व गवाहान का आपस में परिचय करवाया। कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखा परिवादी का प्रार्थना पत्र व रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का वार्यस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के निकाला जाकर

परिवादिया का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.07.2025 गवाहान को पढकर सुनाया गया व दिखाया गया एंव ट्रेप कार्यवाही मे बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाहे जाने पर अपनी अपनी मौखिक सहमति प्रदान की गई। परिवादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर गवाहान द्वारा हस्ताक्षर किये गये। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का वायॅस रिकॉर्डर जिसमें लगे मैमोरी कार्ड में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 15.07.2025 रिकॉर्ड है, वॉयस रिकॉर्डर को चालू करके दोनो गवाहान को सुनाया गया। समय 08.50 ए.एम. पर परिवादिया रूकमा देवी को उसके पति श्री होशियार सिंह की मौजदूगी एंव दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादिया ने आरोपी श्री चेतन सिंह रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 3 नोट कुल 1500 रूपये पेश किये, जिन पर श्री किरण कुमार वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की अलमारी मे से फिनोफथलीन पाउडर मंगवाकर नोटो पर किरण कुमार से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादिया के पास मौजूद बैग में कुछ भी शेष नही छोडते हुए पाउडर युक्त नोट रखवाये गये। परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत पृथक से तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादिया के पति श्री होशियार सिंह को एसीबी स्टॉफ के मोबाईल नम्बरो का आदान प्रदान करवाया गया। समय 09.15 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय वायॅस रिकॉर्डर मय नया/खाली मैमोरी कार्ड, मय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का वायॅस रिकॉर्डर/मैमोरी कार्ड मय स्वतन्त्र गवाह श्री देवेन्द्र सिंह, एसीबी स्टॉफ श्री रविन्द्र सिंह कानि नम्बर 308, श्री मनोज कुमार नम्बर 01 मय लैपटॉप/प्रिन्टर ट्रेपबॉक्स, मोबाईल फोन, आदि के प्राईवेट वाहन, श्री श्याम प्रकाश सउनि, श्री चतर सिंह कानि नम्बर 17, श्री सुरेन्द्र सिंह कानि नम्बर 20 व श्री भूपेन्द्र सिंह गवाह के प्राईवेट वाहन, श्री होशियार सिंह द्वारा साथ लाये वाहन से श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 62, श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि नम्बर 321, परिवादिया श्रीमती रूकमा व परिवादिया का पति श्री होशियार सिंह वास्ते ट्रेप कार्यवाही गांव काया भीला के लिये रवाना हुये। दिनांक 17.07.2025 समय 10.11 ए.एम दर्ज रहे कि रास्तें आरोपी श्री चेतन सिंह के मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादिया के मोबाईल नम्बर [redacted] पर समय 10.09 ए.एम. कॉल आया परन्तु परिवादिया द्वारा फोन उठाया नही व वाहनो को साईड में खडा करवाया जाकर पुनः आरोपी को कॉल मिलाया तो कॉल नही उठाया समय 10.11 ए.एम. पर वार्ता करवाकर मोबाईल फोन का स्पीकार ऑन करवाकर वार्ता को रिकॉर्ड किया गया। वार्ता में आरोपी का स्वंय का आगनंबाडी केन्द्र पर आना बताया। जिस पर पुनः ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुये। दिनांक 17.07.2025 समय 10.24 गांव काया भीला से थोडा पहले पहुंच वाहनो को साईड में खडा कर परिवादिया के मोबाईल मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी चेतन सिंह के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता करवाकर मोबाईल फोन का स्पीकार ऑन करवाकर वार्ता को रिकॉर्ड किया गया। वार्ता में आरोपी का स्वंय का आगनंबाडी केन्द्र पर ही होना अवगत करवाया गया। समय 10.27 ए. एम. पर परिवादिया को वायॅस रिकॉर्डर सुपुर्द चालू कर सुपुर्द कर परिवादिया व उसके पति श्री होशियार सिंह को उनके वाहन से रिश्वत राशि देने हेतु आगंनबाडी केन्द्र भीला के लिये रवाना कर निर्देश दिये कि जैसे ही रिश्वत राशि का आदान प्रदान हो तुरन्त ही मोबाईल फोन पर सूचना देवें। मन् निरीक्षक पुलिस भी हमराहीयान के प्राईवेट वाहनो से परिवादी के पीछे पीछे रवाना हुई। दिनांक 17.07.2025 समय 10.30 ए.एम. पर उपरोक्त फिकरा की रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस आगंनबाडी केन्द्र भीला से कुछ पहले पहुंची व वाहनो को रोड के साईड में खडा करवाया परिवादी का वाहन आगंनबाडी केन्द्र भीला के बाहर नजर आ रहा है एंव परिवादिया वाहन के बाहर की तरफ व उसका पति वाहन के अन्दर व एक व्यक्ति वाहन के बाहर ही नजर आ रहे है। मन् निरीक्षक पुलिस ईशारे के ईन्तजार में मुकीम रही। समय करीब 10.33 ए.एम. पर प्राईवेट वाहन में मय हमराहीयान के मुकीम शुदा मन् निरीक्षक पुलिस के पास मौजूद श्री कैलाश चारण हैड कानि को परिवादिया के पति श्री होशियार सिंह ने रिश्वत राशि आदान प्रदान होने की जानकारी जरिये मोबाईल दी जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस प्राईवट वाहन से एसीबी स्टॉफ के श्री कैलाश चारण हैड कानि 62, श्री रविन्द्र सिंह कानि नम्बर 308, श्री मनोज कुमार कानि नम्बर 01, श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि नम्बर 321, गवाह श्री देवेन्द्र कुमार व अन्य वाहन से श्री श्याम प्रकाश सहायक उप निरीक्षक, श्री चतर सिंह कानि नम्बर 17, श्री सुरेन्द्र कानि नम्बर 20 मय स्वतन्त्र गवाह श्री भूपेन्द्र सिंह के आगंनबाडी केन्द्र भीला तहसील रायपुर जिला ब्यावर के आगे पहुंचे जंहा पर परिवादिया व उसके पति श्री होशियार सिंह एक व्यक्ति जिसकी पीठ पर स्कूल बैग लटका था से बाते कर रहे थे के पास पहुंची। परिवादिया से वायॅस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द किया गया। परिवादिया ने उनके पास खडे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर ये ही चेतन सिंह जी सुपरवाईजर है जिन्होने मेरे से 1500 रूपये लिये है, मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना व हमराहीयान का परिचय दिया गया व शख्स का परिचय पूछा तो अपना नाम चेतन सिंह सैक्टर सुपरवाईजर कानुजा होना बताया व परिवादिया से 1500 रूपये प्राप्त करने की स्वीकारोक्ति दी गई। बारिश होने के कारण सभी हमराहीयान व चेतन सिंह को साथ लेकर आगंनबाडी केन्द्र भीला के अन्दर प्रवेश किया जंहा पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना पूरा परिचय प्राप्त किया तो अपना नाम चेतन सिंह हैल्थ सुपरवाईजर कानुजा ब्लॉक रायपुर जिला ब्यावर होना बताया। परिवादिया से ली गई रिश्वत राशि के बारे मे पूछने पर श्री चेतन सिंह ने बताया कि इन्होने अपनी मर्जी से ही रूपये दिये है मौके पर मौजूद परिवादिया ने श्री चेतन सिंह के कथन का खण्डन करते हुये बताया कि ये हर बार ही दबाव देते है तथा पैसे मांगते है व आशा क्लेम के रूपये लिये है पूछने

पर बताया कि 1500 रूपये लिये है। चेतन सिंह ने रिश्वत राशि अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे होना बताया। रिश्वत राशि के लेनदेन की पुष्टि होने पर आगंनबाडी केन्द्र मे रखी हुई पानी की मटकी से पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से दो पारदर्शी प्लास्टिक के नये डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर उनमें साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी चेतन सिंह के दोनो हाथो अगुंलियो एवं अंगुठे को बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाब व बाये हाथ के धोवण का रंग मटमैला आया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर क्रमशः हल्का गुलाबी व मटमैला होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा-आधा भरकर व बायें हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा-आधा भरकर चारो शीशीयों को सुरक्षित रखा गया। आरोपी की निशादेही से उसकी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब की तलाशी गवाह भूपेन्द्र सिंह से लिवाई गई तो 500-500 रूपये के तीन नोट कुल 1500 रूपये निकाले नोटो के नम्बरो का मिलान दोनो गवाहान को पूर्व की मुर्तिब शुदा फर्द पेशकशी से करने की कहने पर दोनो गवाहान ने नोटो के नम्बरो का मिलान कर हुबहु होना बताया गया। उक्त नोटो को गवाह श्री भूपेन्द्र सिंह के पास सुरक्षित रखवाये गये। आरोपी श्री चेतन सिंह ने अपना पूरा नाम पता श्री चेतन सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह उम्र 39 साल जाति रावत निवासी गांव कानुजा तहसील रायपुर जिला ब्यावर हाल हैल्थ सुपरवाईजर सैक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कानुजा ब्लॉक रायपुर जिला ब्यावर में जनवरी 2025 से कार्यरत होना बताया। मौके पर लाईट व अन्य व्यवस्था नही होने व बारिश होने के कारण आगामी कार्यवाही अन्य स्थान पर किये जाने का निर्णय लिया जाकर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहीयान व आरोपी श्री चेतन सिंह मय धोवण की शिंशियों के पुलिस थाना बर पहुंच आगामी कार्यवाही हेतुं थानाधिकारी श्री ओमप्रकाश से कक्ष की व्यवस्था करने हेतु कहा गया जिनके द्वारा पुलिस थाना बर में आगामी कार्यवाही हेतु कक्ष उपलब्ध करवाये जाने पर आगामी कार्यवाही आरम्भ की गई।तत्पश्चात सुरक्षित रखी हुई आरोपी चेतन सिंह के दाहिने हाथ व बाये हाथ के धोवण की शिंशियों पर मार्क क्रमशः आर.एच.-1 , आर.एच.- 2, एल.एच.-1 व एल.एच.- 2 अंकित कर सील्ड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी के पहनने के लिये थाना परिसर से ही एक पेन्ट की व्यवस्था करवाई जाकर आरोपी की पहनी हुई पेन्ट को ससम्मान उतरवाया जाकर आरोपी को दूसरी पेन्ट पहनवाई गई। आरोपी की पेन्ट बरंग स्लेटी जिसकी दाहिनी जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई है, का धोवण लिये जाने हेतु ट्रेप बॉक्स में से एक पारदर्शी प्लास्टिक का नया डिस्पोजल गिलास निकलवाया जाकर उसमें थाना परिसर से साफ पानी भरवाकर उक्त गिलास मे सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी श्री चेतन सिंह की की पेन्ट की दाहिनी जेब को उलटवाकर डुबाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया गया तो घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो कांच की साफ शिंशियो मे आधा-आधा भरकर मार्क पी-1, पी-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील्ड चिट किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। गवाह श्री भूपेन्द्र सिंह कुमार के पास सुरक्षित रखी हुई रिश्वत राशि को एक पीले कागज के लिफाफे में रखकर सिल्ड कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क "एन" अंकित किया जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी की पेन्ट बरंग स्लेटी जिसकी दाहिनी जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई है उक्त पेन्ट की जेब को सुखाकर जेब पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेन्ट बरंग स्लेटी को फोल्ड कर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील्डचिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क पी अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादिया के आशा क्लेम फार्म के सम्बन्ध मे पूछने पर श्री चेतन सिंह ने बताया कि दिनांक 14.07.2025 को श्रीमती रूकमा जो कि आंगनबाडी केन्द्र भीला में आशा सहयोगिनी ने अपना आशा क्लेम फार्म दिनांक 25.05.2025 से 25.06.2025 तक का चिकित्सा एंव स्वास्थ्य एंव पारिवाकिर कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर के ऑन लाईन पॉर्टल आशा सॉफ्ट सिस्टम पर अपलोड करने के लिये दिया था यह फार्म इसने मुझे मेरे घर पर ही दिया था मैने फार्म को अपलोड करने के लिये कम्प्यूटर ऑपरेटर को नही दिया आज रूकमा ने मुझे रूपये देने का कहा था आज मै इसका फार्म अपलोड करने के लिये ऑपरेटर को देता। कागजात अपलोड होने के बाद में चार-पांच दिन में रूपये इनके बैंक खाते मे आ जाते है। कभी कभार 10 दिन भी लग जाते है। इनके द्वारा दिया हुआ आशा क्लेम फार्म अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कानुजा में मेरे कार्यालय कक्ष में रखे हुये है, जिस पर परिवादिया से सम्बन्धित दस्तावेजात प्राप्त करने हेतु मन् निरीक्षक पुलिस मय आरोपी श्री चेतन सिंह स्वतन्त्र गवाहान श्री भूपेन्द्र सिंह व श्री देवेन्द्र कुमार एसीबी स्टॉफ श्री श्याम प्रकाश स0उ0नि0, श्री चतर सिंह कानि0 के पुलिस थाना बर से रवाना होकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कानुजा पहुंची, जंहा पर डा0 नरेश कुमावत चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कानुजा जिला ब्यावर उपस्थित मिले जिन्हे तथ्यो से संक्षिप्त में अवगत करवाया गया। श्री चेतन सिंह के कक्ष जिस पर ताला लगा था हुआ था की चाबी लगाकर खुलावाया गया एंव आरोपी की निशादेही से टेबल की दराज के उपर से सम्बन्धित दस्तावेजात प्राप्त किये। कक्ष की चाबी डा0 श्री नरेश कुमावत को सुपुर्द की। दस्तावेजात प्राप्त कर पुनः पुलिस थाना बर पर उपस्थित हुई। डा0 नरेश कुमावत को पुलिस थाना बर पर आने की हिदायत दी गई। प्राप्त किये गये दस्तावेजो को विवरण इस प्रकार है राजस्थान सरकार के निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण सेवाए का ऑन लाईन

पैमेन्ट एण्ड मोनिटरिंग सिस्टम आशा सॉफ्ट जो आशा क्लेम फार्म होकर आशा सहयोगिनी के कार्य सम्पादन की मासिक रिपोर्ट तथा भुगतान प्रपत्र है। परिवादिया श्रीमती रूकमा आगंनबाडी केन्द्र भीला गांव काया भीला उपकेन्द्र भैरू का नाम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कानुजा ब्लॉक रायपुर का दिनांक 25.05.2025 से 25.06.2025 तक का होकर क्लेम फार्म कर्ता का नाम चेतन सिंह है। उक्त प्रपत्र कुल पेज 1 से 33 तक है। श्रीमती रूकमा ने बताया कि यही आवेदन फार्म भुगतान हेतु अपलोड करने के लिये चेतन सिंह सुपरवाईजर को दिये थे। दस्तावेजात की फोटो प्रति प्रमाणित प्राप्त की जाकर दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु डा0 नरेश कुमावत को सुपुर्द किये गये। प्रमाणित प्रति के प्रथम व अन्तिम पेज पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कानुजा के उपस्थिति पंजिका माह जुलाई 2025 की प्रमाणित प्रति पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रमाणित शुदा दस्तावेजत शामिल कार्यवाही किये गये। मूल पंजिका उपस्थिति पंजिका डा0 नरेश कुमावत को सुपुर्द की गई। डा0 नरेश कुमावत ने बताया कि आशा सहयोगिनी द्वारा जो फील्ड मे मासिक कार्य किया जाता है उसका प्रपत्र भरकर उनके द्वारा निर्धारित फार्म आशा क्लेम मे भरकर आशा सुपरवाईजर श्री चेतन सिंह को दिया जाता है जिनके द्वारा ऑन लाईन पॉर्टल आशा सॉफ्ट पर अपलोड करने की जिम्मेदारी श्री चेतन सिंह हैल्थ सैक्टर सुपरवाईजर की है। दिनांक 14.07.2025 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता आरोपी को सुनाई गई तो कहा कि मै पैसे नही मांगता हूं जो भी राजी खुशी 200-500 रूपये दे देता है मै ले लेता हूं। इन्होने भी राजीखुशी ही मुझे 1500 रूपये दिये थे। इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री चेतन सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह उम्र 39 साल जाति रावत निवासी गांव कानुजा तहसील रायपुर जिला ब्यावर हाल सैक्टर हैल्थ सुपरवाईजर सैक्टर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र कानुजा ब्लॉक रायपुर जिला ब्यावर द्वारा आंगनबाडी केन्द्र भीला ब्लॉक रायपुर पर कार्यरत परिवादिया श्रीमती रूकमा द्वारा बतौर आशा सहयोगिनी किये गये कार्यो के भुगतान हेतु राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण सेवांए की ऑन लाईन पैमेन्ट पोर्टल आशा सॉफ्ट पर अपलोड किये जाने वाले आशा क्लेम फार्म (आशा सहयोगिनी के कार्य संपादन की मासिक रिपोर्ट एंव भुगतान प्रपत्र) माह जून दिनांक 25.05.2025 से 25.06.2025 तक का प्राप्त कर भुगतान करवाये जाने हेतु अपलोड करवाने की एवज में दिनांक 15.07.2025 को रिश्वत राशि 1500 रूपये की मांग कर दिनांक 17.07.2025 को परिवादिया से रिश्वत राशि 1500 रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे रिश्वत राशि रखी जंहा से रिश्वत राशि बरामद होना पाया गया। आरोपी श्री चेतन सिंह के दाहिने हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी, बांये हाथ के धोवण का रंग मटमैला एंव पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब के धोवण का रंग गुलाबी होना पाया गया है। समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी एंव जब्ती पृथक से मुर्तिब की गई। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का कारित करना पाया जाने पर आरोपी श्री चेतन सिंह को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। कार्यवाही की विडियो ग्राफी यथा आवश्यकता श्री चतर सिंह कानि0 नम्बर 17 से साथ लाये मोबाईल फोन जिसमें नया/खाली मैमोरी कार्ड डाला जाकर की गई। समय 06.00 पीएम पर बाद मौका कार्यवाही परिवादिया व उसके पति को दिनांक 18.07.2025 समय 08.00 ए.एम. पर कार्यालय मे आने की हिदायत दी जाकर मन् निरीक्षक पुलिस मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री चेतन सिंह के मय हमराहीयान मय जब्त शुदा आर्टिकल,रिश्वत राशि, लैपटॉप प्रिन्टर वायॅस रिकॉर्डस, मोबाईल फोन ट्रेप बॉक्स आदि के प्राईवेट वाहनो से एसीबी चौकी अजमेर के लिये रवाना हुई। दिनांक 17.07.2025 समय 07.30 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री चेतन सिंह मय हमराहीयान स्टॉफ एंव गवाहान मय जब्त शुदा आर्टिकल,रिश्वत राशि, लैपटॉप प्रिन्टर वायॅस रिकॉर्डरस, मोबाईल फोन, ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर आदि के प्राईवेट वाहनो से एसीबी कार्यालय पहुंची। जब्त शुदा आर्टिकल व वायॅस रिकॉर्डरस, मोबाईल फोन मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखे गये। गवाहो के रूख्सत कर दिनांक 18.07.2025 को समय 08.00 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई। दिनांक 18.07.2025 परिवादिया श्रीमती रूकमा, श्री होशियार सिंह एंव स्वतन्त्र गवाहान के उपस्थित आने पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन एंव रिश्वत राशि लेनदेन से पूर्व वार्ताओ की ट्रासंक्रिप्ट एंव पैन ड्राईव तैयार किये गये। मूल मैमोरी कार्ड एंव पैन ड्राईव सील्ड किये गये। विडियो रिकॉर्डिंग के मैमोरी कार्ड से पैन ड्राईव तैयार किये गये। मैमोरी कार्ड व पैन ड्राईव सील्ड किये गये। समस्त जब्त एंव सील्ड शुदा आर्टिकल मालखाना में जमा करने हेतु मालखाना प्रभारी को सुपुर्द किये गये। गवाहो व परिवादी को रूख्सत किया गया। इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री चेतन सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह उम्र 39 साल जाति रावत निवासी गांव कानुजा तहसील रायपुर जिला ब्यावर हाल सैक्टर हैल्थ सुपरवाईजर सैक्टर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र कानुजा ब्लॉक रायपुर जिला ब्यावर द्वारा आंगनबाडी केन्द्र भीला ब्लॉक रायपुर पर कार्यरत परिवादिया श्रीमती रूकमा द्वारा बतौर आशा सहयोगिनी किये गये कार्यो के भुगतान हेतु राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण सेवांए की ऑन लाईन पैमेन्ट पोर्टल आशा सॉफ्ट पर अपलोड किये जाने वाले आशा क्लेम फार्म (आशा सहयोगिनी के कार्य संपादन की मासिक रिपोर्ट एंव भुगतान प्रपत्र) माह जून दिनांक 25.05.2025 से 25.06.2025 तक का प्राप्त कर भुगतान करवाये जाने हेतु अपलोड करवाने की एवज में दिनांक 15.07.2025 को रिश्वत राशि 1500 रूपये की मांग कर दिनांक 17.07.2025 को परिवादिया से रिश्वत राशि 1500 रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे रिश्वत राशि रखी जंहा से रिश्वत राशि बरामद होना पाया गया। आरोपी श्री चेतन सिंह के

दाहिने हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी, बांये हाथ के धोवण का रंग मटमैला एंव पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब के धोवण का रंग गुलाबी होना पाया गया है। अतः आरोपी श्री चेतन सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह उम्र 39 साल जाति रावत निवासी गांव कानुजा तहसील रायपुर जिला ब्यावर हाल सैक्टर हैल्थ सुपरवाईजर सैक्टर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र कानुजा ब्लॉक रायपुर जिला ब्यावर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का कारित करना पाया जाने पर उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक भ्र0नि0ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें साद्र प्रेषित है। (मीरां बेनीवाल) निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर......................कार्यवाही पुलिस................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती मीरां बेनीवाल, निरीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,अजमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री चेतन सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह उम्र 39 साल जाति रावत निवासी गांव कानुजा तहसील रायपुर जिला ब्यावर हाल सैक्टर हैल्थ सुपरवाईजर सैक्टर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र कानुजा ब्लॉक रायपुर जिला ब्यावर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राकेश वर्मा, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. अजमेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 336 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1065-68 दिनांक 18.07.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर, 2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर 3.-उप महानिरीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Rakesh Kumar Verma **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 18/07/2025 18:[illegible]

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/07/1986				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)